न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 37 / 2018 (2018 / 0355)

गोपाल पुत्र कालू जाति रैगर निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. प्रभाती देवी पत्नी जगन्नाथ प्रसाद जाति रैगर निवासी ग्राम चैनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. राज. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :–15.11.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 सपठित धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने अपने ख0नं0 569 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित है जिसका खातेदार काश्तकार प्रार्थी है, तथा अप्रार्थीगण सं0 1 पडोसी काश्तकार है, तथा अप्रार्थीगण सं0 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बरान् का सीमाज्ञान दिनांक 10.05.2017 को तहसीलदार महोदय के आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2017 / 3245 दिनांक 05.06.2017 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा उभययपक्षों की उपस्थिति में किया जा चुका है।

उक्त कृषि भूमि के सीमाकंन अनुसार प्रार्थी पत्थरगढी करवाना चाहता है पटवारी हल्का व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं0 1 को उक्त सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी बाबत कोई उज्र हो तो माननीय न्यायालय उन्हें तलब कर प्रार्थी के पक्ष में सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी कराने के आदेश प्रदान करें। जिससे सीमा के विवाद का निस्तारण हो सके।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर की पत्थरगढी अप्रार्थी 1 को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान कर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अन्य न्यायालय जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थी को प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी सं0 01 की ओर से श्री आशीष शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 ने 90 दिन से अधिक समय होने पर जवाब पेश नहीं किया दिनांक 19.09.2019 को जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी सं0 02 तहसीलदार आमेर ने प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट उनके पत्रांक भू.अ./2019/2097 दिनांक 14.05.19 के द्वारा भिजवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की ख0नं0 569 रकबा 0.95 है0 ग्राम चतरपुरा प.ह. चतरपुरा भू.अ.नि. क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर में स्थित है। जिसका खातेदार काश्तकार प्रार्थी स्वयं है तथा उक्त ख0नं0 के दक्षिण दिशा में प्रभाती देवी पत्नी जगन्नाथ (अप्रार्थी सं0 01) की कृषि भूमि लगती हुई है। मौके पर सीमाकंन के निशानात मौजुद हैं। उक्त ख0नं0 का सीमाज्ञान कार्यालय के आदेश क्रमांक 1242 दिनांक 02.06.2017 की पालना में प.ह. द्वारा दिनांक 10.06.2017 को करवाया जा चुका है। उक्त भूमि के सीमाकंन के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है। इस बाबत कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सीमाकंन के अनुसार पत्थरगढी की जा सकती है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 01 की कृषि भूमि की सीमायें मिली हुई है तथा मौके पर सीमांकन के निशानात स्थित है। अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से पत्थरगढी की जा सकती है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस दिनांक 05.11.2019 को सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.05.2017 को किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 569 रकबा 0.95 हैक्टेयर वाके ग्राम चतरपुरा पटवार हल्का चतरपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित की फीस पत्थरगढी प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये उभयपक्षों की उपस्थिति में सम्पादित करावें तथा यदि कोई कब्जेकाश्त का विवाद हो तो पत्थरगढी के दौरान भूमि की बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें।

निर्णय आज दिनांक **15.11.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2020.01.21 13:49:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: